फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

जसराम व अन्य **बनाम्** मोमनराम व अन्य

किस्म मुकदमाः–**आदेश 39 नियम 2 ए सी.पी.सी.** प्रकरण संख्याः–**59/2014**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुई
15/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उपस्थित बहस सुनी गई। सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 सी पी सी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा माननीय न्यायाल के समक्ष जैरकार प्रकरण सं0 29/2013 (212 आर टी ए) अनवान जसराम वगैरा बनाम मोमनराम व अन्य में पारीत स्थगन आदेश दिनांक 06.03.2013 की अवमानना किये जाने के कारण उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का निवेदन किया। उक्त प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से अधिवक्ता सुभाष बिश्नोई उपस्थित हुये अप्रार्थीगण का जवाब बन्द कर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता राकेश कुमार मनचन्दा ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा श्रीमान जी के न्यायालय द्वारा स्थगन जारी होने के बाद जैरवाद रकबा पर आगे कब्जा कर लिया है व प्रार्थना का जवाब भी नहीं दिया है मौका पर उक्त रकबा की फोटो फार्म नं. 3 के साथ सलंग्न है जिससे स्पष्ट जाहीर होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय की अवमानना की है फोटो पेश है जो मौका की है इसलिए अप्रार्थीगण के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी नं. 1 द्वारा प्रार्थना में अंकित तथ्यों का ऐतराज करते हुए निवेदन किया कि दावा डिक्री हो चुका इजराय की कार्यवाही जैरकार अप्रार्थी सं. 1 द्वारा न्यायालय के आदेश की अवमानना नहीं की है अगर अप्रार्थीगण द्वारा न्यायलय की अवमानना की गई होती तो प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाना में भी कार्यवाही दर्ज करवाई होती लेकिन ऐसा नही और ना ही तहसील कार्यालय सूरतगढ़ से कोई रिपोर्ट पेश की गई है जिससे साबित हो कि अप्रार्थी द्वारा न्यायलय की अवमानना की गई है केवल कह देने मात्र से बिना किसी दस्तावेजी सबुत के किसी प्रकार की कार्यवाही अप्रार्थी के खिलाफ नही की जा सकती प्रार्थी द्वारा जो फोटो पेश की है वह किस स्थान की है यह तय नही किया जा सकता। प्रार्थी अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारीज किया जावे है। पत्रावली का अवलोकन कर बहस का मनन किया गया प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसके साथ कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये है ना ही किसी सक्षम अधिकारी या हल्का पटवारी द्वारा कोई रिपोर्ट पेश की गई है व ना ही पड़ौसी काश्तकारों द्वारा कोई शपथ पत्र ब्यान पेश किये गये है। इसलिए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास नही किया जा सकता। लिहाजा प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दाफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15/11/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.11.21 17:45:41 IST
Reason: SelfAttested